

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से
भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 530]

भोपाल, शनिवार, दिनांक 29 सितम्बर 2018—आश्विन 7, शक 1940

राजस्व विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 29 सितम्बर 2018

क्र. एफ-1-9-2018-सात-6.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 13 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, टीकमगढ़ जिले की सीमाओं को उसमें से उसकी तहसील पृथ्वीपुर, निवाडी एवं ओरछा को अपवर्जित करते हुए परिवर्तित करती है तथा इन तहसीलों को समाविष्ट करते हुए एक नवीन जिला निवाडी का सृजन दिनांक 01 अक्टूबर, 2018 से करती है. उक्त जिले का मुख्यालय निवाडी में होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनीष रस्तोगी, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 29 सितम्बर 2018

क्र. एफ-1-9-2018-सात-6.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-1-9-2018-सात-6, दिनांक 29 सितम्बर 2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनीष रस्तोगी, प्रमुख सचिव.

Bhopal, the 29th September 2018

No. F-1-9-2018-VII-6.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 13 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the State Government, hereby, alter the limits of District Tikamgarh by excluding there from its Tehsils Prithvipur, Niwari and Orchha and create a new District Niwari with effect from 1st October, 2018 by comprising these tehsils. The headquarter of the said district shall be at Niwari.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
MANISH RASTOGI, Principal Secy.

1059

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2018.